संख्या- 119 / 2016 / 577 /चार-2016 -55 (वि)/2016

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 जून , 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या - 6539(एम/बी)/2016 अमिताभ ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-341 /सं0नि-19(7)/2016 दिनांक 13 मई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या - 6539(एम/बी)/2016 अमिताभ ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु श्री जयदीप नारायण माथुर की कान्फ्रेस फीस रू0 55,000/- एपीरियन्स फीस रू0 1,50,000/- एवं क्लर्केज चार्जेज रू0 22,500/- अर्थात कुल रू0 2,27,500/- के भुगतान के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यथा प्रस्तावित कुल धनराशि रू0 2,27,500/-(रूपये दो लाख सत्ताईस हजार पॉच सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 2,27,500/-(रूपये दो लाख सत्ताईस हजार पॉच सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016 -17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

संख्या- 119 / 2016 /577 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/